राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2428/2025

किरोड़ी लाल मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.)।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3)/जांच/विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.04.2025
आदेश की दिनांक : 05.08.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 05.07.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को निलंबन से बहाल किया जावे।

अपीलार्थी के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाकर सितम्बर 1995 में व्याख्याता कॉलेज के पद पर की गई। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 13.09.1995 को उक्त पद पर कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध प्राचार्य के पद पर की गई। तब से अपीलार्थी बिना किसी शिकायत के उक्त पद पर लगातार कार्यरत् है। आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, लालसोट से प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, उनियारा में किया गया। उक्त आदेशों की पालना में अपीलार्थी को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी की माता की उम्र करीब 90 वर्ष है तथा अपीलार्थी की पत्नी रमेश बाई मीणा बयाना में कॉलेज व्याख्याता के पद पर पदस्थापित थी। अपीलार्थी के अलावा माता की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था तथा अपीलार्थी की माता की तबियत खराब होने के कारण

अपीलार्थी अवकाश पर रहा। जिसकी सूचना भी कॉलेज आयुक्तालय को दी गई थी तथा अपीलार्थी ने स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 26.06.2024 को कार्यग्रहण किया तथा अपीलार्थी ने पूर्व कॉलेज का चार्ज दिनांक 27.06.2024 को प्रदान किया गया। परन्तु प्रत्यर्थी सं. 2 ने आलौच्य आदेश दिनांक 05.07.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा बिना जांच प्रस्तावित किये अपीलार्थी को निलम्बित करते हुए अपीलार्थी का मुख्यालय आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर में कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण को दिनांक 18.09.2024 (अनुलग्नक–2) को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 05.07.2024 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। किन्तु प्रत्यर्थीगण ने आज दिनांक तक उक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नही की है। प्रत्यर्थीगण का उक्त कृत्य अवैध व अनुचित है तथा विधि विरुद्ध है। उनका कथन है कि कार्मिक विभाग ने दिनांक 12.04.2022 (अनुलग्नक–3) को निलम्बन के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये, जिसमें बिन्दु सं. 2 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया कि उक्त निलम्बन आदेश के 15 दिवस के भीतर निलम्बन की पुष्टि का कारण मय अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव सहित आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग को प्रेषित किया जायेगा तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा निलम्बन आदेश की पुष्टि के पश्चात् 45 दिवस के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। परन्तु अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच प्रस्तावित नहीं की गई। प्रत्यर्थीगण ने कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 12.04.2022 (अनुलग्नक–3) के विपरीत जाकर आलौच्य आदेश जारी किया है, जो अवैध व अनुचित है तथा मनमाना व पक्षपातपूर्ण है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.07.2024 के द्वारा बिना जांच प्रस्तावित किये मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर निलम्बित किया गया तथा अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण ने आरोप पत्र दिनांक 28.02.2025 (अनुलग्नक–4) को जारी किया, जिसमें अपीलार्थी को स्थानान्तरण आदेशों की पालना में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण तथा पूर्व महाविद्यालय का चार्ज सुपुर्द नहीं करने के कारण व अनावश्यक पत्राचार करने के आधार पर अपीलार्थी को आरोप पत्र दिया गया जो किसी प्रकार से गंभीर आरोप नहीं है। फिर भी अपीलार्थी को आलौच्य आदेश के द्वारा निलम्बित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट याचिका सं. 10010/2020 योगेश आचार्य बनाम सरकार में आदेश दिनांक 06.12.2021 को यह निर्धारित किया है कि सीसीए नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत 2 शर्तों पर ही किसी कर्मचारी को निलम्बित किया जा

सकता है, प्रथम जांच प्रस्तावित हो या द्वितीय जांच विचाराधीन हो (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त दोनों शर्तों में किसी प्रकार की शर्त पूर्ण नहीं होती है। प्रत्यर्थी विभाग ने प्रारम्भिक जांच किये बिना उससे पूर्व ही अपीलार्थी को बिना आरोप पत्र जारी किये निलम्बित किया गया था। उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने अवैध व अनुचित माना है। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। उक्त आधार पर भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। उनका आगे कथन है कि राज्य सरकार ने दिनांक 10.01.2001 (अनुलग्नक–6) को समस्त विभागों को परिपत्र जारी करते हुए यह निर्देशित किया है कि किसी भी कर्मचारी को तब तक निलम्बित नहीं किया जावें, जब तक एन्टी करेप्शन ब्यूरो द्वारा रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया हो, नैतिक अधमता (Moral Turpitude) का प्रकरण नहीं हो तथा ऐसे चार्जेज जिसके कारण कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता हो, से आरोपित नहीं हो। अपीलार्थी पर ऐसा किसी भी प्रकार का आरोप नहीं होने के बावजूद आलौच्य आदेश दिनांक 05.07.2024 से आज तक लगातार निलम्बित कर रखा है। प्रत्यर्थीगण का उक्त कृत्य अवैध व अनुचित है तथा राज्य सरकार के उक्त परिपत्रों के विपरीत है। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पीटिशन सं. 9361/2023 राजकुमार बनाम शिक्षा विभाग में दिनांक 25.07.2023 को नियम 16 सीसीए के अन्तर्गत प्रकरण डीओपी को भेजने के बावजूद आरोप पत्र जारी नहीं होने के आधार पर जांच को विचाराधीन नहीं माना गया तथा सीसीए नियम 1958 के नियम 13 (1) के विपरीत मानते हुए स्थगन आदेश जारी किया (अनुलग्नक–7)। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पीटिशन सं. 5361/2024 जगदीश चन्द रैबारी बनाम शिक्षा विभाग में दिनांक 09.04.2024 को भी समान तथ्यों पर यह निर्धारित किया है कि किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध सीसीए नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत या तो जांच प्रस्तावित की गई हो या विचाराधीन हो, तभी किसी कार्मिक को निलम्बित किया जा सकता है (अनुलग्नक–8)। अपीलार्थी के प्रकरण में आलौच्य आदेश के द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 ने बिना प्रारम्भिक जांच के तथा प्रारम्भिक जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त नहीं करने के बावजूद आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है। जो अवैध व अनुचित है तथा विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी भी समान अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी को 05.07.2024 को निलम्बित किया गया था। अपीलार्थी को निलम्बन की दिनांक तक किसी प्रकार की कोई जांच प्रस्तावित नहीं की गई तथा निलम्बन करने के 7 माह पश्चात् दिनांक

28.02.2025 को आरोप पत्र जारी किया तथा अपीलार्थी पर किसी प्रकार का गंभीर आरोप नहीं होने के बावजूद अपीलार्थी को आज तक बिना किसी कारण के निलम्बित कर रखा है। माननीय उच्च न्यायालय ने अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ में दिनांक 16.02.2015 को यह निर्धारित किया है कि किसी भी कर्मचारी को 3 माह से अधिक निलम्बित नहीं रखा जा सकता है। यदि 3 माह में आरोप पत्र नहीं दिया जाता है तो निलम्बन को किसी प्रकार से लगातार जारी नहीं रखा जा सकता है। अपीलार्थी को निलम्बन आदेश जारी होने के पश्चात् 7 माह तक आरोप पत्र जारी नहीं किया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार अपीलार्थी के निलम्बन को आगे बनाये रखने का कोई आदेश प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग का उक्त कृत्य माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णय के विपरीत है। उक्त आधार पर भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 05.07.2024 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को यथावत् प्राचार्य के पद पर राजकीय महाविद्यालय, उनियारा जिला टोंक में पदस्थापित रखा जावें।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि अपीलार्थी राज्य सेवा का कर्मचारी है, जो प्रत्यर्थी विभाग में प्रचार्य के पद पर कार्यरत है। निलम्बन आदेश दिनांक 05.07.2024 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है एवं अपीलार्थी को सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। उच्च शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात अपीलार्थी को निलम्बित करने का प्रस्ताव कार्मिका विभाग को दिनांक 04.07.2024 को भेजा गया था। तत्पश्चात विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, कार्मिक (ए–3/जांच) के आदेश दिनांक 05.07.2024 द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया। विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अपीलार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रशासनिक विभाग से प्रस्ताव कार्मिक विभाग को आदेश दिनांक 11.02.2025 द्वारा प्राप्त हुए। उपरोक्त क्रम में, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अनुसार विभागीय ज्ञापन दिनांक 28.02.2025 के अंतर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र

जारी किया गया। उक्त ज्ञापन दिनांक 28.02.2025 अपीलार्थी को दिनांक 11.03.2025 को तामील कर दिया गया है, लेकिन अपीलार्थी की ओर से आज तक लिखित कथन नहीं आया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.04.2022 के द्वारा प्रशासनिक विभाग को 45 दिनों के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता है, जिसके अभाव में निलंबन के बहाने बहाली का मामला स्वतः तय नहीं हो सकता। निलंबन का मामला एक अलग मामला है जिस पर सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार विचार/निर्णय किया जाता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित साक्ष्य हेतु दस्तावेजों के सम्बन्ध में आरोपी अधिकारी के प्रभाव/हस्तक्षेप की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए निलम्बन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4900/2020 दानाराम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.07.2020 में यह माना गया है कि किसी लोक सेवक को जांच कार्यवाही लम्बित होने के आधार पर ही नहीं बल्कि प्रस्तावित होने के आधार पर भी निलम्बित किया जा सकता है (अनुलग्नक–आर/1)। साथ ही अधिकरण द्वारा अपील संख्या 226/2024 कपिल देव शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के आधार पर वर्तमान अपील भी खारिज किये जाने योग्य है (अनुलग्नक–आर/2)। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.01.2001 के पृष्ठ संख्या 2 के बिन्दु संख्या 3 में उल्लिखित प्रावधान इस प्रकार हैः– "(iii) Where the officer concerned is prima facie guilty of some major lapse and departmental enquiry under Rule 16 of the CCA Rules is pending or contemplated against him and the gravity of the charge(s) is such that, if proved, it will most probably lead to his removal or dismissal from service, and"

वर्तमान में, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय ज्ञापन दिनांक 28.02.2025 के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया हैं। अतः अपीलार्थी के विरूद्ध जारी दिनांक 05.07.2024 का निलंबन आदेश उचित एवं नियमानुसार है। एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10010/2020 योगेश आचार्य बनाम राज्य में माननीय न्यायालय ने नियम 13 का हवाला देते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य कर्मचारी को उन दोनों स्थितियों में निलंबित किया जा सकता है जहाँ राज्य कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन एवं लंबित हो। उपरोक्त

प्रस्तुतियों के आलोक में, अपीलार्थी के समक्ष अपील दायर करने का कोई कारण नहीं आया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपील प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी निलम्बन आदेश दिनांक 05.07.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह अंकित है कि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन होने के आधार पर अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि निलम्बन की तिथि को अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित या विचाराधीन नहीं थी। अपीलार्थी को दिनांक 28.02.2025 को सीसीए नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किए गए हैं। अतः जांच विचाराधीन होने के आधार पर निलम्बित किया जाना नियम विरूद्ध है। उनके द्वारा राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10010/2020 योगेश आचार्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.12.2021 एवं प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9361/2023 रामकुमार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया है और निवेदन किया है कि इन प्रकरणों में निलम्बन आदेश को विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन होने के आधार पर निलम्बन आदेश जारी किया गया था, परन्तु निलम्बन आदेश की तिथि को संबंधित कार्मिकों की कोई जांच कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निलम्बन आदेश को अपास्त/स्थगित किया गया है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.01.2001 में उन आधारों का उल्लेख किया गया है, जिन दशाओं में किसी लोक सेवक को सामान्यतः निलम्बित किया जाता है। ऐसा कोई आधार अपीलार्थी के प्रकरण में नहीं है। अतः निलम्बन आदेश को अपास्त किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी निलम्बन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियमों के नियम, 16 के तहत दिनांक 28.02.2025 को आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। आरोप पत्र जारी किए जाने के कारण अपीलार्थी अधिकरण से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी

नहीं है। उनकी तरफ से माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4900/2020 दानाराम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.07.2020 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया गया और निवेदन किया गया है कि किसी लोक सेवक को जांच कार्यवाही लम्बित होने के आधार पर ही नहीं बल्कि प्रस्तावित होने के आधार पर भी निलम्बित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने अधिकरण द्वारा अपील संख्या 226/2024 कपिल देव शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 की तरफ अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही निवेदन किया है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 22 के तहत निलम्बन आदेश के संबंध में अपील किए जाने का प्रावधान है। अतः अपील खारिज की जावे।

आलौच्य निलम्बन आदेश दिनांक 05.07.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उसके विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन होने के आधार पर निलम्बित किए जाने का अंकन है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 28.02.2025 को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया है, जिसकी तामील अपीलार्थी को दिनांक 11.03.2025 को हुई है। इससे स्पष्ट है कि निलम्बन आदेश पारित किए जाने के दिन अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं थी। उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलार्थी के विरूद्ध निलम्बन आदेश की तिथि को विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित भी नहीं थी। यह सही है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत किसी लोक सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित होने अथवा लम्बित होने की दशा में निलम्बित किया जा सकता है, परन्तु निलम्बन आदेश में जांच के संबंध में यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि संबंधित लोक सेवक के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित है अथवा लम्बित है। एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10010/2020 योगेश आचार्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.12.2021 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है किः—

> " A bare perusal of the order dated 15.09.2020 quoted hereinbefore reveals that the petitioner has been placed under suspension by indicating that inquiry is pending against the petitioner (जांच विचाराधीन है). From the material on record, it is apparent that on the date when the petitioner was

placed under suspension, no inquiry was pending, in fact the charge-sheet has been issued to the petitioner on 31.12.2020.

Provisions of Rule 13 of the Rules of 1958 insofar as relevant, reads as under:-

"Rule 13. Suspension. -

1. The Appointing Authority or any, authority to which it is subordinate or any other authority empowered by the Government in that behalf may place a Government Servant under suspension:

(a) where a disciplinary proceedings against him is contemplated or is pending, or

(b) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation or trial

Provided that where the order of suspension is made by an authority lower than the Appointing Authority, such authority shall forthwith report to the Appointing Authority the circumstances in which the order was made."

A bare look at the provisions would reveal that a government servant can be placed under suspension, where either a disciplinary proceedings against him is contemplated or is pending.

Apparently, even if the inquiry proceedings were contemplated against the petitioner, for that reason the petitioner has not been placed under suspension, which aspect is apparent from the order dated 15.09.2020.

Besides the above, learned AAG, on required from the Court, has produced the note-sheet, based on which, the petitioner has been placed under suspension, the relevant part therein also reads as under:-

"श्री योगेश आचार्य, कार्यकारी अधिषाशी अधिकारी, नगर पालिका, सुमेरपुर के विरूद्ध विभाग में विचाराधीन निम्नलिखित शिकायतों में प्राप्त जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार, अनियमितताएं एवं नगर पालिका को राजस्व हानि पहुचाने के संबंध में दोषी पाया गया है। अतः निर्देशानुसार श्री योगेश आचार्य को तुरन्त प्रभाव के निलम्बित किये जाने हेतु पत्रावली अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।"

Even in the above note-sheet also, there is no whisper of initiating disciplinary proceedings against the petitioner, as the reason for placing him under suspension.

In that view of the matter, as apparently on 15.09.2020, neither a disciplinary proceedings against the petitioner was contemplated nor the same was pending, as wrongly indicated in the order impugned, the foundational requirement of placing a government servant under suspension being missing, the order impugned dated 15.09.2020 on that count alone, cannot be sustained.

The submissions made by learned counsel for the petitioner that as the order impugned has been passed by the Director on that count also, the same is bad, has no substance, inasmuch as, the opening words of the Rule clearly provides that the appointing authority or any authority to which it is subordinate may place the government servant under suspension. Admittedly, the petitioner is subordinate to the Director and as such passing of the order by the Director, cannot be faulted.

In view of the above discussion, the writ petition filed by the petitioner is allowed. The order dated 15.09.2020 (Annex.-7) is quashed and set aside.

The respondents would be free to take any other proceedings in accordance with law against the petitioner, if so advised."

अपीलार्थी के प्रकरण में भी हम यह पाते है कि निलम्बन तिथि को अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित ही नहीं थी, तो विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

यह सही है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निलम्बन आदेश जारी किए जाने के पश्चात राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया है और वर्तमान में जांच विचाराधीन है। जारी आरोप पत्र के अवलोकन से कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.01.2001 में वर्णित दशाओं में से किसी भी परिस्थिति की उपस्थिति नहीं पाई जाती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील उसके निलम्बन आदेश को अपास्त करने की हद तक स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के संबंध में जारी निलम्बन आदेश दिनांक 05.07.2024 को अपास्त किया जाता है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी का नियमानुसार अन्यत्र पदस्थापन करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य